तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30/5/25	प्रकरण 35-1 बहस प्रा०पत्र एवं राजीनामा सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, ~~एवं~~ राजीनामा एवं TDR रिपोर्ट का अवलोकन करने पर राजीनामा स्वीकार किया उचित प्रतीत नहीं होता है। रिपोर्ट TDR अनुसार तरमीम सहमति बटवारा के माध्यम से हुई है। जिसे सहमति बटवारे के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर पक्षकार अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रा०पत्र प्रार्थी प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेज के आधार पर तरमीम को त्रुटीपूर्ण साबित करने में असफल होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। ह०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

…ं0 तारीख दायरा तारीख फैसला

…ा.पत्र/2024 08.07.2024 30.04.2025

…. मन्नी पत्नी श्री भँवरलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूँदी राज०।
2. कन्या बाई पत्नी श्री भैरूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम बड़ून्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।
3. लोकेन्द्र आत्मज श्री भैरूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम बड़ून्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
4. श्रवण आत्मज श्री भैरूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम बड़ून्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।
5. विनोद आत्मज भैरूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम बड़ून्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री हिम्मत सिह

अधिवक्ता अप्रार्थी :– श्री भागचन्द मालव व पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131 एल आर एक्ट

प्रार्थना पत्र वास्ते राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने बाबत्

प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 521 पुराना 494 की खसरा सं. 1342/979 रकबा 0.3561 हैक्टेयर वाके ग्राम बड़ून्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में विस्थित है। जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप में काबिज काश्त है। एवं वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2076 प्रस्तुत है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है । तथा प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 से क्रय की है जब से कृषि कार्य करते चले आ रहे है एवं भूमि ग्राम बडुन्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है। जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था। प्रार्थी की वाद वर्णित भूमि जब तहसील तालेडा में ऑनलाईन हुई तो उक्त भूमि का नक्शा बदल दिया गया जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं आनन फानन मे प्रार्थी जहाँ काबिज है वहां का नक्शा को प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 1342/ 979 रकबा 0.3561 पर अंकित नही किया एवं दुसरी जगह का नक्शा प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा सं.1342/979 रकबा 0.3561 हैक्ट0 पर अंकित कर दिया, जो कि गलत इन्द्राज हुआ। एल आर एक्ट की धारा 136 की धारा में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शे एवं तरमीम मे गलती हुई तो प्रार्थी के काबिज काश्त के आधार पर ही पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट मंगवा कर नक्शे एवं तरमीम की शुद्धी करवाई जा सकती है। गलत नक्शे एवं तरमीम के चलते प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थी को नाजायज परेशान करते है। तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। एवं इस बाबत् जब प्रार्थी के द्वारा हल्का पटवारी बडून्दा से दिनांक 07.03.2024 को निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि का नक्शा एवं तरमीम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का बडुन्दा के द्वारा प्रार्थी के साथ टालमटोल की गई, प्रार्थी की समस्या का कोई समाधान नही किया गया। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 07.03.2024 को तहसीलदार तालेडा से नक्शा एवं तरमीम शुद्धी के लिये निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा प्रार्थी की बात नहीं सुनी एवं प्रार्थी की भूमि के नक्शा एवं तरमीम शुद्ध के सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में भी लगातार बना हुआ है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 521 पुराना 494 की खसरा सं. 1342/979 रकबा 0.3561 हैक्टेयर वाके ग्राम बडून्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में विस्थित भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की काबिज स्थिति को देखते हुये वर्तमान कब्जा स्थिति के आधार पर पटवारी की रिपोर्ट तलब कर नक्शा एवं तरमीम शुद्धीकरण के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 द्वारा जर्ये अभिभाषक इकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित करने की कृपा करे।

अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 3504 दिनांक 30.08.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ऑनलाईन जमाबन्दी खाता सं0 521 खसरा सं0 1342/979 रकबा 0.3561 हैक्टे. किस्म नहरी II खातेदार मन्नीबाई पत्नि भंवरलाल जाति मेघवाल दर्ज रिकार्ड है ख0सं0 1342/979 की तरमीम सहमति विभाजन किये जाने से हुई। मुल खसरा सं. 979/260 रकबा 1.6916 हैक्टे. के दो टुकडे ख0सं0 1343/979 रकबा 1.3355 हैक्टे0 व 1342/979 रकबा 0.3561 हैक्टे. बने थे। ऑनलाईन नक्शे में उक्त खसरा नम्बरान् की तरमीम सहमति बटवारे से हुयी है मौके पर वादी का कब्जा ऑनलाईन नक्शा अनुसार नही है वादी का कब्जा नजरी नक्शे अनुसार है।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा वाद में वर्णित ख0सं0 1342/979 रकबा 0.3561 हैक्टे वाके ग्राम बडून्दा की तरमीम सहमति विभाजन आदेश से हुई है। अतः प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 521 संवत 2076 ख0सं0 1342/979 रकबा 0.3561 हेक्टे0 वाके ग्राम बडून्दा , भू–नक्शा ख0सं0 1342/979 व 1343/979 एवं आधार कार्ड मन्नीबाई की छायाप्रति पेश की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 521 पुराना 494 की खसरा सं. 1342/979 रकबा 0.3561 हैक्टेयर वाके ग्राम बडून्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में विस्थित भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की काबिज स्थिति को देखते हुये वर्तमान कब्जा स्थिति के आधार पर नक्शा एवं तरमीम शुद्धीकरण के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार प्रार्थिया की खातेदारी अधिकार की भूमि सहमति विभाजन आदेश की पालना में तरमीम होने से उक्त आदेश की पालना में हुई तरमीम को त्रुटीपूर्ण नही माना जा सकता। प्रार्थिया स्वेच्छा से बटवारा पश्चात गलत काबिज कास्त है । जिसे नियमानुसार कब्जे कास्त के आधार पर दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी नकल जमाबन्दी खाता सं0 521 संवत 2076 ख0सं0 1342/979 रकबा 0.3561 हेक्टे0 वाके ग्राम बडून्दा , भू–नक्शा ख0सं0 1342/979 व 1343/979 का अवलोकन किया गया । प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने से यह प्रमाणित नही होता है कि प्रार्थिया की खातेदारी भूमि की तरमीम त्रुटीपुर्ण हुई है। तहसीलदार तालेडा द्वारा नक्शा तरमीम पक्षकारान् के मध्य सहमति बटवारा आदेश के तहत होना तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। यदि ऐसी स्थिति में प्रार्थिया को सहमति बटवारा आदेश में किसी प्रकार की त्रुटी प्रतीत होती है तो नियमानुसार प्रार्थिया सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकती है। अन्तर्गत धारा 131 एलआर एक्ट में इस प्रकार कब्जा कास्त के आधार पर अथवा किसी दिगर आदेश से हुई तरमीत को त्रुटीपूर्ण मानते हुए तरमीम परिवर्तन का कोई प्रावधान निहित नही होने से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थिया प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो एवं दस्तावेज के आधार पर तरमीम को त्रुटि पूर्ण साबित करने में असफल होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा